अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजनान्तर्गत नोडल एजेन्सी मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में हज भवन, पटना में विभिन्न राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार अन्तर्गत आगामी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग (भारत सरकार), बैंक, एवं रेलवे की निःशुल्क गैर-आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम हेतु नामांकन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशः-

1. **आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी बिहार राज्य हज समिति के वेबसाईट www.biharstatehajcommittee.org पर दिनांक 25.12.2024 से 05.01.2025 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के आवेदन की समीक्षा करके छात्र–छात्राओं को निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा। कोचिंग/वर्ग संचालन दिनांक 10.01.2025 से आरम्भ करने की योजना है।**
2. पटना स्थित इच्छुक आवेदकों को हज भवन,पटना में ऑफलाइन तथा अन्य ज़िलो के आवेदकों हेतु विभिन्न ज़िलों में स्थित अल्पसंख्यक बालक एंव बालिका छात्रावास में स्थित स्मार्ट क्लासरुम में ऑनलाइन माध्यम से वर्ग संचालन किया जाएगा।
3. हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में नामांकन कराने वाले आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना है।
4. विषयांकित आवासीय कोचिंग अवधि सामान्यतः छः महीने की होगी।
5. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने वालों की सूची मे सक्षम शिक्षकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या मे पूर्व में सफल प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।
6. आवेदकों को नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है :–
   - (क) मैट्रिक/10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)।
   - (ख) इंटरमीडियट उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
   - (ग) स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
   - (घ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय–पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पासपोर्ट इत्यादि)।
   - (ड) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछडा वर्ग का क्रीमीलेयररहित/जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

7. अतिरिक्त जानकारी के लिए हज भवन, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

8. अतिरिक्त जानकारी हेतु तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर दूरभाष संख्या—0612—2203315, 7903062552, 8802023093, 9097171909, 8676045567, एंव 9060338682 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समन्वयक
हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग
सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य हज समिति, पटना।